जिला पंचायत, सम्भल (बहजोई)।

पत्रांक 126 /जि0पं0/ला0अनु0/2021–22 दिनांक 15 /07/2021

ठेकेदारी नवीनीकरण एवं नवीन पंजीकरण वर्ष 2021–22 सूचना

जिला पंचायत, सम्भल के समस्त ठेकेदरों को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत, सम्भल में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कराये जाने वाले निर्माण कार्यों हेतु उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 में दिए गए प्राविधानों एवं जिला पंचायत, सम्भल में प्रचलित ठेकेदारी उपविधि के अनुसार **वित्तीय वर्ष 2021–22** (लाईसेन्स जारी दिनांक से दिनांक 31.03.2022 तक) के लिए ठेकेदारों के नवीनीकरण एवं नवीन पंजीकरण हेतु दिनांक 05.08.21 तक आवेदप पत्र पंजीकृत डाक से आमंत्रित किए जाते हैं। ठेकेदारों के नवीनीकरण एवं नवीन पंजीकरण हेतु निम्न विवरण के अनुसार राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

1– आर्थिक क्षमता (हैसियत प्रमाण पत्र) एवं चरित्र प्रमाण पत्र जनपद के जिला मजिस्ट्रेट से शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त कर प्रार्थना पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी, जो निर्धारित अवधि के अन्दर का हो।

2– पात्रता/माफिया गतिविधियों के सम्बन्ध में जारी किए गए शासनादेश के क्रम में नवीनीकरण एवं नवीन पंजीकरण हेतु अंकन रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। नवीनीकरण हेतु यदि यह प्रकाश में आता है कि ठेकेदार अपात्र है तो उसका नवीनीकरण एवं नवीन पंजीकरण जिला पंचायत, सम्भल में स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

3– आयकर एवं जी0एस0टी0 में पंजीकरण की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4– किसी भी प्रार्थना पत्र का यदि सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त नही होगा तो प्राप्त आवेदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

5– जिला पंचायत, सम्भल के किसी अधिकारी/कर्मचारी एवं मा0 अध्यक्ष/सदस्य जिला पंचायत, सम्भल से किसी प्रकार की रिश्तेदारी न होने का शपथ पत्र (अंकन रू0 100/– के स्टाम्प पर) संलग्न करना होगा।

6– नवीनीकरण एवं नवीन पंजीकरण की अवधि में चरित्र प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र में जो पहले समाप्त हो रही हो उस तिथि तक वैध होगी।

7– नवीनीकरण/नवीन पंजीकरण हेतु श्रम विभाग में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र तथा पार्टनरशिप वाले आवेदनों में फर्म की हैसियत होना अनिवार्य होगा, प्राप्त न होने पर आवेदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

निर्धारित तिथि 05.08.2021 के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। पंजीकरण नवीनीकरण मा0 अध्यक्ष, जिला पंचायत की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही किया जायेगा। विज्ञप्ति की सूचना http://sambhal.nic.in पर देखी जा सकती है।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत,सम्भल।

पत्रांक व दिनांक तदैव।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– विज्ञापन व्यवस्थापक, दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण/अमर उजाला, बहजोई को इस आशय से कि उपरोक्त विज्ञप्ति अपने दैनिक समाचार पत्र में आगामी अंक में (केवल अंकन 5000/– रू0 की सीमा तक) एक बार शासकीय दरों पर प्रकाशित करा कर जिला सूचना अधिकारी, सम्भल से दरें प्रमाणित कराने के उपरान्त बिल भुगतान हेतु दो प्रतियों में कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सम्भल को इस आशय से कि उक्त विज्ञप्ति जनपद की बेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

3– नाजिर, जिला पंचायत, सम्भल को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।

4– जिलाधिकारी महोदय, सम्भल की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

5– मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी, जिला पंचयत, सम्भल की सेवा में सूचनार्थ।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत,सम्भल

D/